न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 31/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/137

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेण्ट्स :—

श्रीमती गेरी पत्नी स्व. श्री पुखाराम, जाति सीरवी, निवासी मण्डिया, तहसील व जिला पाली (राज.)

1. रूपाराम पुत्र स्व. श्री पुखाराम, जाति सीरवी, निवासी 34 पाली सड़क, मण्डिया तहसील व जिला पाली (राज.)
2. तहसीलदार पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट स्वयं
रेस्पोडेण्ट स्वयं

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— **11.08.2025**

न्यायालय जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध मौजा ग्राम मण्डिया, पटवार हल्का मण्डिया, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 2392 दिनांक 27.05.2025 तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 01 स्वयं वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की सरहद मौजा राजस्व ग्राम मण्डिया, पटवार हल्का मण्डिया तहसील पाली के खसरा संख्या 652, खसरा संख्या 682, खसरा संख्या 682/13, खसरा संख्या 682/5 एवं खसरा संख्या 682/7 कुल रकबा 3.1727 हैक्टेयर में से अपीलाण्ट का कुल 1/3 हिस्सा खातेदारीशुदा स्थित है। उक्त आराजियात खसरा संख्या 652, खसरा संख्या 682, खसरा संख्या 682/13, खसरा संख्या 682/5 एवं खसरा संख्या 682/7 अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की खातेदारीशुदा भूमि के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण भूमि का 1/6 हिस्सा भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के पक्ष में पंजीबद्ध हकतर्क दिनांक 16.12.2024 को कर दिया। उक्त दस्तावेज के विपरीत नामान्तरकरण संख्या 2388 दिनांक 23.05.2025 स्वीकृत किया गया और उक्त नामान्तरकरण संख्या में अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा निहीत हो गया व रेस्पो. संख्या 01 का 1/2 हिस्सा यानि 1/3 स्वयं की खातेदारीशुदा व 1/6 हिस्सा हकतर्कशुदा दर्ज हो गया। कुछ दिनों पश्चात राजस्व कर्मचारी की भूल व तकनीकी त्रुटि के कारण अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में पंजीबद्ध हकतर्क दिनांक 16.12.2024 की पालना में

एक बार पुनः रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में अपीलाण्ट के पक्ष में शेष 1/6 हिस्से का विवादित नामान्तरकरण संख्या 2392 दिनांक 09.06.2025 स्वीकृत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप अपीलाण्ट का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो. संख्या 01 के नाम दर्ज हो गया जो कि विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण में तथ्यात्मक त्रुटि होने से खारिज फरमाकर जैर अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पो. संख्या 01 ने वक्त बहस स्वयं उपस्थित होकर उज्र किया कि जैर नामान्तरकरण एक ही पंजीबद्ध हकतर्कनामे की पालना में दुबारा स्वीकृत किया गया है, जो अगर अपास्त फरमाया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस हकतर्कनामे के आधार पर स्वीकृत किया गया है उसी हकतर्कनामा दिनांक 16.12.2024 के आधार पर पूर्व में जैर आराजी के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 2388 दिनांक 20.05.2025 स्वीकृत किया जा चुका है अर्थात् विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी एक पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर किसी आराजी का एक ही नामान्तरकरण की प्रविष्टि की जा सकती है न कि उसी दस्तावेज के आधार पर बार–बार नामान्तरकरण का पुनरावृति करना। हस्तगत प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पो. संख्या 01 ने एक ही हकतर्कनामे दिनांक 16.12.2024 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2388 दिनांक 20.05.2025 एवं नामान्तरकरण संख्या 2392 दिनांक 27.05.2025 दर्ज करवाया जो कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है एवं उक्त संबंध में रेस्पो. संख्या 01 स्वयं की स्वीकारोक्ति भी है। अतः पश्चातवृति नामान्तरकरण संख्या 2392 दिनांक 27.05.2025 प्रथम–दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण है।

अतएव हम मौजा ग्राम मण्डिया, तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 2392 दिनांक 27.05.2025 को निरस्त कर तद्नुसार तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में पुनः पंजीकृत हकतर्कनामे दिनांक 16.12.2024 की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार पाली को भिजवाई जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **11.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली